289

not join it? And we should send a few Members from here to go there and enquire into the affair. If the offi-fcers are sending wrong reports, this is a matter for serious enquiry, this matter of starvation deaths. What should be done about it?

श्री महाबीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) :
मैं इसको ताईद करता हूं । जैसे लोकसभा
में मिनिस्टर ने बयान देना तय किया है
वैसे हो इस सभा में भो बयान दिया जाय ताकि
हम परिस्थिति को समझ ले ...

श्री भूपन्द्र नारायण मंडल (बिहार) : सरकार को आदेश दिया जाय चेयर की तरफ से, आप डाइरेक्ट कर सकते हैं, लोकसभा में डाइरेक्ट किया गया है, आप भी कर सकते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): The concerned Minister is not here. The feelings of the House, I hope, have been taken note of by the Minister.

SHRI MAHAVIR TYAGI : Will he make the Statement here?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): If any Statement has been made in the Lok Sabha I hope the same Statement will be made by the concerned Minister in this House also, and we expect it.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am very glad that you have almost indirectly asked the Government, but a little direct suggestion would have been all right. We take a little time to pick up courage—all of us—in life.

THE GENERAL INSURANCE BUSINESS (NATIONALISATION) BILL, 1972

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal)! : My suggestion was to the 10—U R. ./7.2

Government with regard to this Bill. Now it is being hurriedly done. I do not know whether Mr. Chavan will be making a short speech, a long speech or a medium speech. I do not know.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN) : A short speech.

SHRI BUPESH GUPTA: Therefore the debate will start perhaps immediately after your speech. And at 6 O'clock the other thing will come in. Now, Sir, we are handicapped. We do not know from the papers we have so far got including what has been laid on the Table of the House and available in the library as to on what basis *fthe* revisjed rate of compensation or the scale of compensation has been settled. We have no indication whatsoever.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Let the Finance Minister first say in his speech, and if you find, something missing...

SHRI BHUPESH GUPTA: Why I

have got up? I know you would say this thing and reasonably you are expected to say this. In your position I would have said the same. Now I have gone through the Finance Minister's speech, and you must have—you need not go through it even that way. He has not said anything that way in his speech in the other House. He has given some indication. He has dealt with ideological and other questions but up to now, by reading all that has fallen from his precious lips—precious indeed they are—and what he has said in that House, or otherwise given to us, we have not got any solid information as to the basis on which firstly the scale of compensation was settled, and then increased. All that we know is that in between appeared Mr. Tata and Mr. Palkhiwala and after talks with them the compensation was in-

292

[RAJYA SABHA]

[Shri Bhupesh Gupta] creased. Therefore, Sir, we would like to be enlightened on the Jsubject a little.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Mr. Bhupesh Gupta, your name is there that you are one of the speakers and you can take up all these issues when you speak.

SHRI BHUPESH GUPTA: My. name is there, you are very glad. My name is engraved on your heart, not only on your pad. My name is there, I entirely know. It is quite there, but this is what I wanted to know from you. Will he kindly tell us the manner in which he has worked out the scale of compensation?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B, RAJU): All right, thank you.

SHRI BHUPESH GUPTA: The money that you are paying is so fabulously fat that I am and the people are, ! shocked.

SHRI BABUBHA1 M. CHINAI (Maharashtra): On a point of order, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Nothing has happened for a point of order to be raised.

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: This is the point of order, Sir. I do not understand Ihow you permitted Mr. Bupesh Gupta to make the observations which he has made, because the Bill has not been moved and the hon. Finance Minister has not made his speech. In spite of that you allowed Mr. Bupesh Gupta to ask as to how this compensation amount Ihas come, under whose pressure it came. This is not the parliamentary practice which we have followed at least during the fourteen years that I have been in the House. I would therefore beseech you not to permit such extraneous observations by Mr. Bhupesh Gupta. After the '

Finance Minister ihas spoken, he has got every right to ask him. He can enquire and he can make a speech. I do not mind it, but this is not the stage at which Mr. Bupesh Gupta should have been allowed by you to speak.

SHRI BHUPESH GUPTA: All right. After his speech, I will say it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Please sit down.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: While opposing monopoly, he monopolises in the Rajya Sabha to get up at any time and to speak at any time he likes.

SHRI Y. B. CHAVAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of shares of Indian insurance companies and undertakings of other existing insurers in order to serve better the needs of the economy by securing the development of general insurance business in the best interests of the community and to ensure that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth to the common detriment, for the regulation and control of such business and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the General Insurance Business (Nationalisation) Bill, 1972, which was introduced in the Lok Sabha on 29th May, 1972 was referred to a Joint Committee of both Houses of Parliament on 30th May, 1972 and the Report of the Committee was presented to both the Houses on the 21st August, 1972. The Committee received a number of memoranda and also heard evidence from several witnesses. As a result, they made certain changes in the Bill which are explained in detail in their

Report. The Bill visualises setting up of a Government company called the General Insurance Corporation of India and four companies subsidiary to it. The functions of the General Insurance Corporation mclude, apart from carrying on general insurance business on its own, aiding, assisting and advising the subsidiary companies. It will also be supervising and controlling the subsidiary companies by issuing directions wherever necessary. The General Insurance Corporation starts with a subscribed capital of Rs. 5 crores which will be its initial working capital and the amounts paid under section 11 for acquiring the sihares or undertakings, as the case may be, of the insurers, will become additional subscribed capital of the Corporation. The four subsidiary companies will be formed by integration of the existing insurers in India carrying on general insurance business. On the appointed day, the shares of all Indian insurance companies, that is to say, Indian insurers which have a share capital and are 'companies' under the Companies Act, shall vest in Government and on the same day the undertakings of all other insurers (which are listed in Part B of the Schedule) will be transferred to the Central Government and immediately thereafter to one or the other of the Indian insurance companies. The Indian insurance companies will be gradually merged and integrated to form the four subsidiary companies under one or more schemes which the Central Government Ss empowered to frame.

SHRI BHUPESH GUPTA: Why four subsidiary companies?

SHRI Y. B. CHAVAN: Because the Government of India want them. The objective is to have the four subsidiary companies so situate as to render their services effective in all parts of India and to ensure that there should be healthy competition amongst them. There seems to be a fear in the minds of some people that, if competition is allowed, it may generate malpractices such as premium cutting, illegal rebates, false or exaggerated claims and so on. I do not think that such a fear is iustified. The competition that is visualised is in the field of better service and better performance. While going in for nationalisation one of the important objects was improving the "service to the policyholders and with this aim in view, we are taking a far-sighted view and envisaging a setup wherein competition will result in the consumer getting a better deal. 5 P.M.

There is a lot to be done in future in opening up new areas of activities for the nationalised insurance sector, though admittedly this will take some time. Although under the General Insurance ((Emergency Provisions) Act of 1971 the of general management business of the Life Insurance Corporation of India was not taken over, the present Bill provides for acquiring that undertaking also insofar as it related to general insurance business. At present some State Governments are carrying on general insurance business. They will be allowed in future to continue business in respect of properties mainly owned by them or in which they have substantial financial interest. They will not be allowed to transact other insurance business.

The Bill provides that all existing employees of the insurers whose shares or undertakings are acquired will become employees under the new set-up on the same terms and conditions with regard to pay scales, service conditions, etc., until and unless they are changed. Government is already considering the question of having uniform service conditions for employees and for this purpose, as the House might be aware, a Committee has been set up for examining the existing organisational and administrative set-up in all the insurers

[Shri Y. B. Chavan.] and to make suitable recommendations for integrated and rationalised set-up in the future. During the Joint Committee discussions it was expressed that some employees might be hard-hit when rationalisation of service conditions comes into being. I would, therefore, like to give an assurance which I ^had given in the Joint Committee also that in the case of Class III and Class IV employees, their existing emoluments will be protected.

The Schedule to the Bill sets out the amounts payable by Government for acquiring the shares or the undertakings, as the case may be, of the existing insurers. In the original Bill the total amount involved was Rs. 33.03 crores of which Rs. 25.68 crores was for the Indian insurers (including the LIC) and Rs. crores was for the foreign insurers. When the Joint Committee evidence, a number of witnesses had something to say about the amount^ paid. proposed to be There were some witnesses who contended that no amount should at all be paid for taking over the business on the ground that in the past, the shareholders or the proprietors already derived considerable had benefit from the profits of Another opinion, which is business. also reflected in one of the minutes of dissent, was that the shareholders may be paid the amount of their paid-up capital only, on the ground that shareholders have what the contributed should be returned to them and that what has been contributed by the nation should be returned to the nation. At the other extreme there was the suggestion that the full legal proprietary rights of the holders should be respected. 'It was suggested that apart from the reserves unexpired for risks on the minimum necessary basis and provisions for outstanding claims, the balance of all the assets should be returned to the shareholders. The first two views mentioned

above involve ideological considerations which, though important, cannot be discussed from a technical angle. The third is an extreme view which cannot stand deep scrutiny. Every insurer carrying general insurance business must create additional reserves and these reserves serve not only as security for policyholders but also enable the insurer to write more business and increase its retention capacity. These reserves have been built out of the premiums paid in the past by the policyholders and not out of capital and they could be built up only because of the margin in the premium which is always provided directly or indirectly as a hedge against possible fluctuations in risks. Hon. Members will appreciate that if all the reserves are paid to the erstwhile proprietors what is left namely, the bare minimum policy liabilities, will not enable the undertaking to continue functioning as a viable, not to speak of a strong unit. I think it is necessary to draw specific and special attention to this because a number of witnesses matter argued as if Government is expropriating what in law belongs to them, ignoring at the same time that the reserves should continue if the institution is to continue functioning soundly in the future.

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं मंत्री जी ते पूछना चाहता हूं... (Interruptions)

Mr. Chairman, I am just putting a question. You should not discriminate...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : No, no.

श्री बनारसी दास : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि पेड-अप कैंपिटल इन सब इन्छ्यो-रर्स का कितना है जिनको आप कम्पेन्सेशन दे रहे है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Please listen to the speech. Let the speech be completed. You have a right to speak later on.

SHRI BHUPESH **GUPTA** (West Bengal): I want to know why Mr. -Chavan virtually reads the speech he knade out in

the other House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): In the middle of the speech why do you say this?

SHRI BHUPESH GUPTA: You make tl'ie same speech almost, verbatim. Then a copy can be supplied to us.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You can say anything you want when you are speaking.

SHRI BHUPESH GUPTA: There are certain parliamentary rules.

SHRI BANARSI DAS: What is the total payment? The Finance Minister has not given what is the total paid-up capital of the insurers

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): It is not a good practice to disturb when the Minister is making his introductory speech.

SHRI BANARSI DAS: I want to elicit information.

SHRI BHUPESH GUPTA: With all respect to Mr. Chavan, I may point out, if Mr. Chavan had circulated his speech in the other House to us, it would be helpful. Actually he is reading the same speech. You know, first of mutatis mutandis, his speech in the other House is being done here. That is not done may I remind you?

SHRI Y. B. CHAVAN: I cannot have new agruments...

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not objecting if it can be circulated.

SHRI Y. B. CHAVAN: We have to remember that we are nationalising general insurance to enable it to continue running in future and not to close down the business.

With regard to the amounts specified in the Bill, it was argued in the Select Committee that there was discrimination inter se between Indian insurers as well as discrimination between Indian and foreign insurers. It was also contended that those Indian insurance companies which followed a conservative dividend policy in order to build up a sound reserve position got a raw deal in comparison with other companies which distributed higher dividends. Further, as regards foreign insurers, it was argued that the amounts specified in the Sche-; dule discriminated in their favour and that the Indian insurers should get at least the same treatment, if not better, as all their assets are retained in the country. To meet these arguments, the amounts mentioned in the Schedule were reviewed and the amounts were increased for 31 Indian insurers. The total amount payable to Indian insurers has gone up from Rs. 25.68 crores to Rs. 30.70 crores. After the above changes, the amounts in the Sdhedule can, of course, still be assailed on the ground that they are generous or inadequate depending on the political philosophy of the person criticising them. But the amounts cannot be assailed on the basis that they are arbitrary or discriminatory as between the Indian and foreign insurers or as among the Indian insurers inter se. The figures given in the Schedule to the Bill as amended by the Joint Committee have been arrived at after taking into consideration the various arguments advanced in the joint Committee and also factors like dividend, assets all this is not done. Virtually, with minor minus liabilities, profitability, etc. so as to ensure that there is no discrimination btween insurers

> I must refer to certain other criticisms which were made by witnesses and which have found mention in some of the minutes of dissent. First, there is the suggestion for a single autonomous corporation instead of four or five units. This is matter on which a number of

[Shri Y. B. Chavan.] representations were received by Government even earlier, mainly from employees unions. This matter was given very careful consideration, but Government came to the conclusion that four units competing with each other throughout India would be the best in the circumstances. No new point warranting any change in this view has been brought out in the evidence. In one minute of dissent a suggestion has been made that the 'appointed day' should be advanced suitably to avoid continuing management compensation. Government fully appreciates the need for fixing the 'appointed day' as early as possible for saving payment management compensation. Naturally, we have also to take into account the time required for the preliminary work which has to be completed before the appointed day. The appointed day will be fixed taking all the various aspects into consideration. Suggestion has been made that the rate of interest on instalments should be raised from 4 per cent, to 12 per

SHRI BHUPESH GUPTA: You have not read out the portion relating to Mr. Babubhai Chinai.

SHRI Y. B. CHAVAN: When Government is able to borrow at 5i per cent or5i percent, even for long term loans I do not see how it will be correct to buy 12 per cent, on the instalments. It must be remembered that it is not as if the interest is being paid as a penal measure on account of delay in payment; the law itself provides for three annual instalments and save for the inevitable procedural time for making payment, interest is payable mainly for the period during which the instalments have been spread out. It has also been suggested that a 51 per cent, majority of shareholders should be empowered to nominate a person or body to whom the the amounts payable to them can be paid. I need only remark that unless the

amount involved is substantial little purpose would be served by the provision and in many cases 51 per cent, of the total amount payable may not be a substantial sum.

There were suggestions from some witnesses that provision should be made in the Bill for the absorption of the employees of the Calcutta Claims Bureau and similar organisations and some of the minutes of dissent also mention this point. have given an assurance in the Committee that the employees of that Bureau and organisations of a similar nature will be absorbed in the new. ..

SHRI BHUPESH GUPTA: You are leaving out something which I take it pertains to Mr. Babubhai Chinai. I have got your speech with me. The reference is to Mr. Babubhai Chinai, what he said there. Why are you unkind to him?

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: He left out because Mr. Bhupesh Gupta is going to mention something about Mr. Babubhai Chinai.

SHRI Y. B. CHAVAN: He was just now saying that I was making the same speech almost verbatim which I made in the Lok Sabha. Now he complains that I am not making the same speech. What can I do?

SHRI BHUPESH GUPTA: After this full-stop comes his name. Mention it.

SHRI Y. B. CHAVAN: He is going to speak here. We will hear him.

SHRI BHUPESH GUPTA: May I know Sir, if it is not discrimination against an hon'ble Member of this House

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAIU): Let it be over.

SHRI BHUPESH GUPTA: You have omitted Mr. Chini's name.

SHRI Y. B. CHAVAN: Then is not verbatim.

SHRI BHUPESH GUPTA: He has got many Secretaries. Why can they not write different speeches?

SHRI Y. B. CHAVAN: Because the arguments are the same.

SHRI BUPESH GUPTA: Sir, parliamentary practice says that you should not read same speech.

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not want to learn this thing from Mr. Bhu-pesh Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA: What I consider to be right I have a right to say.

SHRI Y. B. CHAVAN: You have said it.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, I do maintain that when speeches are made by the Minister the normal practice is not to put exactly the same words.

SHRI Y. B. CHAVAN: It is a subject where the points are the same. Therefore, it is better to put it in the same way. You yourself complained that it is not the same speech because I did not make reference to some hon'ble Member. Now you are making a different allegation. I do not understand it. these words I move.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Mr. Banarsi Das.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, he has repeated the speech in this House. But what is the basis on which the compensation has been calculated? We are not clear about it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Mr. Gupta, you are repeating your point. Anyhow you are going to speak and you can make all these points in your speech.

SHRI BHUPESH GUPTA: I wanted to know the basis on which the compensation has been calculated.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): You have raised your point and you have heard his speech.

SHRI BHUPESH GUPTA: But it is not clear.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): If you are not satisfied, you have an opportunity to say that later. Please sit down.

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश): उप सभाष्यक्ष महोदय, इस प्रगतिशील विघेयक का मैं स्वागत करता हुं। सन् 56 में जब लाइफ इंश्योरेंस का नैशनलाइजेशन किया गया था उसके बाद ...

SHRI BHUPESH GUPTA: That never happened in Dr. Radhakrishnan's time. "You are not satisfied; therefore, you sit down." That never happened.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): What is it that never happened?

SHRI BHUPESH GUPTA: If we were not satisfied, he would ask, "Have you anything more to say?" It is a new style of democracy we are having now.

श्री बनारसी दास: उसके बाद जनरल इंश्योरन्स का नैशनलाइजेशन अति आवश्यक था। काफी समय के बाद जनरल इंड्योंरेन्स को टेक ओवर करने का निरुचय विया गया और अब एक साल के बाद जनरल इंश्यों-रेंस कम्पनियों को नेशनलाइज करने के लिए यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमन, जनरल इंध्योरेंस के जरिए से हम अपने देश की इकोनोमी को बहुत हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। इस दिष्ट से यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भूजा गया। यह

श्री बनारसी दास

आशा की जाती थी कि सेलेक्ट कमेटी इस विधेयक के अन्दर सुधार करेगी और यह विधेयक ऐसे रूप में पेश किया जाएगा जिससे इसको उपयोगिता अधिक बढ़ सके लेकिन सेलेक्ट कमेट। ने इस विधेयक को पहले जिस रूप में पेश किया गया था उससे और ज्यादा प्रतिकियावादी, और ज्यादा जनहितवादी और ज्यादा जनरल इंश्वोंरेंस को एफोशिएन्सी को कम करने वाला बना दिया।

सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस का एक कारपोरेशन बनाने को योजना इसके अन्दर बनाई गई। मैं सरकार का व्यान आकर्षित करना चाहता हं कि क्लाज 18 के अनुसार सरकार ने यह शक्ति ली है कि जो 4 सब-सिडियरो कोरपोरेशन्स होंगे उनको कारपोरेशन डाइरेक्शन्स दे सकेगा, उनका एक्सपेंस रेशों क्या हो, किस तरह वे रुपया इनवेस्ट कर सकीं, उनके बीच में कम्पटीशन हो। माननीय सदस्यों ने कहा था कि 4 सबसिडियर ज को स्थापना करने से इस उद्योग में माल-प्रांक्टिस के दोष पैदा होंगे। उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के भ्रम का मंत्री जी ने निवारण करने को कोशिश को लेकिन मझ खेद है कि उन्होंने जो प्रयास क्या उससे भ्रम और ज्यादा बढ़ा है। क्या गवर्नमेंट के कंट्रील कर देने से 107 देश: और विदेश। कम्पनियां जो है उनमें पहले आपस में कम्पोटिशन चलता था क्या वह हैल्दी कम्पीटीशन हो गया? यह कट-ध्याट कम्पीटिशन और हो जायेगा। हमारे देश में जनरल इंड्योरेंस का प्रीमियम 125 करोड के लगभग है। जैसे-जैसे विजनेस का प्रसार होगा--जैसे एल० आई० सं१० का नेशनालाइजेशन के बाद हुआ-जनरल इंश्योर स का प्रीमियम निकट भविष्य में बढ़ कर 250 करोड़ हो सकता है और आगे चल कर जब इसकी सामाजिक उपयोगिता को बढाने का प्रयास किया जायेगा तो यह 500 करोड़ भी हो सकता है।

लेकिन यह चार सबसिडियरो बना कर और एक कारपोरेशन बना कर इस में एक दूसरा दरवाजा ब्लैंक मनी को बढ़ाने का पैदा किया गया है क्योंकि एक वात समझ में नहीं आता। जैसा कि वित्त मंत्रों ने कहां, इस से कोई रिबेट नहीं होगी। कैसे रिबेट को रोका जा सकता है, लेकिन फिर हैल्दा कम्पाटिशन कैसे होगा एजेन्टस के लिए, आफिसर्स के लिए, विजिनेस हासिल करने के लिए क्या होगा। सर्विस कड शन्स और रेटस सब के लिए एक से होंगे तो ऐसा स्थिति में इंटेसिव कांम्पाटीशन के लिए सिवाय रिबेट के और क्या होगा और रिबेट के लिए जैसा अब तक हो रहा है वहां होता रहेगा। जितने बडे-बडे इंडस्टियल हाउसेज और कमशियल हाउसेज हैं वह आम तौर से अपने फर्जी एजेन्टस बनाते हैं और अपना रिवेट खुद ही ले लेते हैं जिस का मतलब यह है कि 125 करोड़ रुपये का दस परसेंट समझें तो साढें बारह करोड ब्लैक मनी का कर्माशयल और बड़े-बड़े इंडस्ट्यिल हाउसेज में चला जायगा । एक साल के अनुभव के बाद गवर्नमेंट को इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वास्त हो जाने के बाद क्या गवर्नमेंट का कोई मं। प्रवक्ता अधिकार पूर्वक यह कह सकता है कि जब से जनरल इंश्योंरस को इन्होंने टेकओ वर किया है यह रिबोट खत्म हो गया हैया उस में कमी आयो है ?

दूसरे, जैसे हम 107 कंसर्नस को देखते हैं बिजनेस चलाने के लिए बोगस क्लेम्स बनाये जाते हैं और उन बोगस क्लेम्स के जरिये जो भी रकम भिलती है उसे विजनेस हाउसेज के एजेंट्स अपना बिजनेस इन्फलेट करने के लिए रिबंट की शक्ल में देते हैं। तो क्या सरकार का इरादा है कि वह बोगस क्लेम्स अभी चले और बोगस क्लेम्स का पैसा और ज्यादा रिबेट देने के लिए लिया जाय क्यों कि कमीशन तो मर्यादित होगा और उस से अधिक भी बड़े-बड़े विजिनेस हाउसेज

को दिया जायगा। तो मैं जानना चाहता हं कि गवर्तमेंट ने इस संबंध में क्या योजना बनायो है।

लाइफ इंश्योंरेंस कारपोरेशन, अप ने 1956 में राष्ट्रीयकरण किया, आप देखें कि उस का बिजनेस 1956 के बाद कितना बढ गया है। उस काएक कारपो-रेशन है और उस के बाद तमाम देश में उस को श बार्वे हैं। आज लाइफ इंड्योरेंस कारपी-रेशा में पालिसा होल्डर्स को जो दिक्कत होता है, जो रेमोटेंसेज और क्लेम्स के भगतान में देरा होता है वह आप को इंएफोशियेंसी के कारण है और उस का कारण यह है कि गवर्नमेंट की न तो कोई निश्चित बेज पालिसी है और न गवर्नमेंट की कोई निश्चित लेबर पालिसी है और न उसकी कोई डेवलपमेंट पालिसी है। तो यह आप को इंफोशियेंसी है कि जिस के कारण आज पालिसी होल्डस को सेवाओं में हास हुआ है। तो जबएक में यह हाल हैतो किस प्रकार आप के इन चार कारपोरेशन्स से एफोशियेंसी बढ़ जायेगी। अगर अप डैरिफ रेड्स को भिन्न-भिन्न रखने को इताजत देंगे, जैसा कि अभी हो रहा है और सब कंप्रतंस को सबतरह का विजनेस करने को इजाजत न होगा तो और ज्यादा डिस्किमिनेशन होगा और कोई हेल्दो कम्पी-टोशन नहीं किया जा सकता है।

श्रोमन, एक साल से ज्यादा यहां मैनेजमेंट को टेकओवर किये हुए हो गया। गवर्नमेंट ने कस्टोडियन्स मुकर्रर किये। कस्टोडियन्स प्रबंध करते हैं, पर यह समझ में नहीं आया कि यह 33 लाख रुपया जो इंतजाम के लिए दिया जा रहा है यह किस लिए दिया जा रहा है। कस्टोडियन्स को तनखाह अलग मिलती है, मैनेजमेंट को तनस्वाह अलग मिलतो है। तो मैनेजमेंट को लिये हुए आप को एक साल से ज्यादा अरसा हुआ और 33 लाख काया इंडाइरेक्ट कंपेसेंशन की शक्ल में दिया जा रहा है। सेलेक्ट कमेटी ने सरकार से

बहुत प्रयत्न कर के केवल इतना सुधार कराया कि इंप्लोमेंटशन की तिथि 2 जनवरी. 1973 से आगे नहीं जायगी। इस का मतलब यह है कि 2 जनवरी, 1973 तक, 20 महीने तक 33 लाख रुपये के हिसाब से 6 करोड़ से अधिक मनेजमेंट को एक कंपेसेंशन अलग दिया जायेगा। सेलेक्ट कमेटी के अंदर यह विल जाने के बाद एक सुधार हुआ। वह सुधार क्या हुआ। पहले तो कंपेसेंशन, जैसा कि माननीय मंत्र) जी ने बताया. 5 करोड रुपया कम था। अब कंपेसेशन की धनराशि बढ़ा कर 38.23 करोड़ कर दो गयी है और वित्त मंत्रीजी ने सफाई देते हए कहा कि यह फारेन कंसन्सं और इंडियन कंसर्न्स में किसी तरह का डिस्क्रिमिरेशन न हो इस की वजह से किया गया है। तो पहला प्रश्न तो यह है कि फारेन कंसर्नस के नाते प्राफिट पर उस में रिजब वगैरह को नहीं रखा गया है या दूसरे कंसन्स को क्यों रखा गया है। फारेन कंसर्न्स को क्यों 9 ग्ना प्राफिट का दिया और यह इंडियन कंसर्न्स के म्काबले में एक फोवर्ड ट्रोटमेंट है। सेलेक्ट कमेटा के कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया था। सरकार ने बजाय इस के कि इस में वह कुछ स्वार करता, फारेन इंध्योरर्स को कम कंपेसेंशन देतो, उस ने यह किया कि बिग हाउसेज को 5 करोड रुपये का कंपेसेंशन और बढ़ा दिया। किस आधार पर ब्रहाया गया। तो उसमें एक प्रिसिपल नहीं रखा गया। कुछ अच्छी वेल मैंनेज्ड, कंसर्नस थीं उन्होंने डिविडेंड कम डिक्लेयर किया और कुछ ऐसी कंसर्नस थी जिन्होंने बड़ी उदारता के साथ डिविडेंड दिया, तो 1967, 1968 और 1969 के तीन साल का एवरेज डिविडेंड निकाल कर उसको 9 से गणा कर के उनका एमाउंट रख दिया, जिसका मतलब यह है कि जिन्होंने ज्यादा रिजर्व बनाया उनको कम्पेनसेशन कम दिया। वित्त मंत्री जीने कहा कि ये जो रिजर्व है यह राष्ट्र की सेविंग्स थीं, व.

[श्री बनारसी दास]

राष्ट्र को ट्रांसफर का जा रही है और जो शेयरहोल्डर्स का रूपया था वह उनको दिया जा रहा है। तो श्रोमन्, मैंने आपके द्वारा विन मंत्री से इस सम्बन्ध में एक आवश्यक प्रश्न करना चाहा था। मैन यह पछा. जो बड़ा आवश्यक था, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में मैंने वहां पर उसका कोई जिक नहीं है, लोक सभा के भाषण के अन्दर भो कोई जिक्र नहीं है, कि इन फारेन कंसन्सं और इंडियन कंसर्नस का कल पेड-अप कैंपिटल कितना है। अनुमानतः मैं कहता हूं, कि 12 या 13 करोड़ रुपया इनका पेड-अप कंपिटल है। अगर 12-13 करोड़ रुपया है तो फिर यह 38 करोड़ रुपये कम्पेनसेशन देने के लिये क्या औचित्य हो सकता है। यह फर्ज था विन मंत्री जी का कि वह सदन को अवगत कराते कि इन फारेन और इंडियन कंसर्नस का पेड-अप कपिटल कितना है। यह इत्तिला तो गवर्न-मेंट के पास है, इंझ्योरेंस ईयर बुक पबलिश होती है उसके अन्दर हो सकती है। तो कम्पेनसेशन का आधार क्या है! कम्पेनसेशन नहीं एमाउंट कहे, जो हमने कांस्टोट्य्शन अमेंडमेंट पास किया उसमें यह था कि एमाउंट दिया जायगा लेकिन ''एभाउंट'' के माने आबिटेरो एमाउंट नहीं है, उसका कोई आधार होना चाहिए, उसका कोई प्रिसिपल होना चाहिये। सरकार आखिर इस सदन से और लोक सभा स इतना भय क्यों खाती है, इतनी नफरत क्यों, आखिर इसकी इतनी उपेक्षा क्यों है कि लोक सभा और राज्य सभा को आप अपने विश्वास में नहीं लेना चाहते, आप बताना नहीं चाहते कि किस प्रिसिपल पर आप यह कम्पेनसेशन देना चाहते हैं। आपने शेडयल ए बना दिया और एक-एक कंसर्न के लिये उनके सामने रकम लिख दो और आपने लिख दिया कि किस कंसर्न को कितना रुपया पे किया जायंगा। आर्बिटेरिली कर दिया।

आप बतलायें कि क्या आपका इसके अन्दर जस्टीफिकेशन है। आपने कह दिया कि जनरल इंश्योंरेंस को और दूसरी कंसर्न को इतना मिलेगा। तो एक प्रिसिपल आपको देना चाहिये था कि आया पेड-अप कैपिटल का मल्टीपिल देना चाहते हैं या पेड-अप कपिटल के बराबर देना चाहते हैं। या आपका यह प्रिंसिपल है कि जिस कंसर्न ने जितना टोटल रिजर्व बनाया है और उनका जो पेड-अप कै पिटल है उसके बीच में कोई आप सामंजस्य या कोई अनुपात रखना चाहते हैं। यह आपको बताना चाहिये। हुआ यह कि सिलेक्ट कमेटी से पहले आपका इरादा 5 करोड रुपया कम देने का था लेकिन जब सिलेक्ट कमेटी के अन्दर पहुंचे तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का प्रेशर पड़ा है। स्लोगन लगाते हैं समाज-वाद का लेकिन हकीकत यह है कि आज समाजवाद गवर्नमेंट के लिये करण्झन का स्प्वायल सिस्टम का, एक दूसरा तरीका बन गया है। जैसे कि कम्पनीज एक्ट का आपने अमेंडमेंट किया और पोलिटिकल पार्टीज को चन्दा देना अवध करार देदिया लेकिन इसका मतलब यह था कि अंडर दि टेबिल चन्दा लेना चाहिए और राजनैतिक जीवन को, हिन्दस्तान के राजनैतिक जीवन को. भ्रष्ट करना चाहिये। जिस तरह से कि हमने जनरल इलेक्शन्स में देखा। तो क्या किसी देश के अन्दर इस तरह से डेमो-कसो रह सकतो है जब कि रुलर्स लोग संख्या के अभिमान में आ कर कोई स्ऋपूल्स न बरते, अपने ऊपर कोई संयम न करे। गांधी जो ने कहा था कि संख्या का अभिमान किसी दल या जाति को पतित कर देता है, जिसमें संख्या होती है उसको एक बहुत बड़ा संयम रखना होता है, अपने ऊपर कंट्रोल करना होतः है, इसकी आवस्यकता होता है। जैसे कि कम्पनोज एक्ट में प्राविजन लाकर के पोलिटिकल पार्टीज को चन्दा देना अवैध करार किया था, तो सबसे पहले रूलिंग पार्टी को एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए

या, रूलिंग पार्टी को अपना एक स्टेंडर्ड जनता के सामने रखना चाहिये था, उसको बतलाना चाहिये था कि हमारे पास जनता है, हम किसानों और मजदूरों को पार्टी हैं,ये लोग ही हमारे संरक्षक हैं, चार-चार या आठ आठ आना ये पत्थर तोड़ने वालों ने समाजवाद लाने के लिये हमारे कोष के अन्दर ैसा दिया है।

इसी प्रकार से जनरल इन्ह्योरेन्स में आप कम्पेन सेशन देने के लिय जा रहे हैं तो क्या यदि हम यह आशंका करें कि उस 5 करोड़ में से, अंडर दटेबल, कम से कम 50 पर सेन्ट या 80 पर सेन्ट गवर्न मेंट ने ले लिया है—क्या यह हमारा शंका करना अनुचित होगा ? यह हमारा पुराना रूप नहीं बतलाता है क्या, जिस तरह से पहले फोल्डर्स छपे, जिस तरह से यहां पर पोस्टर्स की चर्चा उठाई गई। तो कोई एक प्रिन्सिपल होना चाहिए कम्पेन्सेशन देने का।

श्रीमन्, सदन के बहुत से सदस्यों ने जो सेलेक्ट कमेटी के अंदर थे, उनमें से एक माननीय सदस्य मिस्टर गोरे ने आपका घ्यान आकर्षित किया, मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि कम्पेन्सेशन न पे किया जाए। कम्पेन्सेशन में इसरे सदन में वित्त मंत्री जी ने बतलाया कि हम मिडिलमेन को, या जो लोग कि छोटे प्जीपति हैं, जिन्होंने अपना लाइफ की सेविग्ज को दिया है, हम उनको एक उचित अमाउन्ट क्षतिपूर्ति के रूप में देना चाहते है--उन्होंने इस सदन में फिगर्स भी दीं. बहत से आंकड़ों का हवाला दिया, रूबी कंपनी का जिक किया, न्यू इंडिया कंपनी का जिक किया, उसमें 5,000 रु० से कम धनराशि के शेअरहोल्डर्स को संख्या 80 फीसदी बताई कहीं उन्होंने बतलाया 70 फीसदी है--तो कहीं आप यह प्रिन्सिपल रखें कि जिनका शेअर मनी 5,000 ए० से कम है उनको हम ज्वादा देंगे, जिनका शेअर मनी 5,000 ह० से ज्यादा है हम उनको एक ग्रेडेड वेसिस पर

देंगे, सले क्ट कमेटी के अंदर आपके सामने सझाव आया पहले यह 5,000 रु० से कम धनराशि वालों को आप कैश पेमेन्ट करेंगे और 25,000 से ज्यादा बालों के लिए पहले आपने यह प्रावधान किया था कि उनको इन्स्टालमेन्ट के अंदर देंगे लेकिन अब इस प्रकार न्याय का दरिया मुड़ा कि इसमें यह प्राविजन किया गया कि हर एक शैयरहोल्डर की, जो 25,000 इ० से कम वाले हैं या ज्यादा वाले हैं सबको 25,000 ६० देंगे, थरू कैश, और 25,000 रुपए से जो ज्यादा धनराशि होगी उसे उनको 3 इन्स्टालमेन्टस के अंदर देंगे। आज प्लान में रिर्सेसीज मोबिलाइज करने के लिए आपको कितने धन की आवश्यकता है ; क्या आप यह नहीं कर सकते, जैसे स्टेट्स में जमीनदारी को अबालिश किया गया तो उसमें 40 साला बौंड दिए गए, छोटे छोटे जमीनदारों को बौंड्स दिए गए, मीडियम साइज जमीनदारी को बौंड्स दिए गए, लेकिन जिनका यहां इन इन्थ्योरेन्स कंपनीज में शेअर 25,000 रु० से ज्यादा है आप उनको भो 25,000 ह0 कैंब पैमेन्ट करेंगे, और 25,000 ६० से जो ज्यादा धन राशि होगी उसको तीन इन्स्टालमेन्ट्स में देंगे, तो क्या आप इसको बौंड्स की शक्ल में नहीं दे सकते? जिस से आपको ज्यादा टैक्स पेयर का रूपया कम्पेन्सेशन कीं शक्ल में अदा न करना पड़े. . .

SHRI BABUBHAI M. CHINAI: Mr. Banarsi Das, you want it to be given in bonds. But the rupee price is going down every day. Do you want that it should also go down and not have any price?

SHRI BANARSI DAS: We have tolive with the times. If the price of the rupee is going down, we cannot help. Of course, the values of the society are also being devalued by the Government and so, we have to adjust ourselves to the changed circumstances. We cannot help it.

[श्री बनारसी दास]

311

तो श्रीमन, मैं यह अज कर रहा था कि यह तो मैं समझ सकता था कि 5,000 रु० से कम वाले शेअरहोल्डर्स को जिन्होंने अपने श्रम की कमायी को इन शेअर्स के अंदर इन्वेस्ट किया, जिनका इन इन्ह्योरेन्स कंपनीज के मैनेजमेन्ट से भी कोई संबंध नहीं था, क्योंकि जो इन्ह्योरेन्स कम्पनी के मैनेजमेन्ट से संबंधित हैं असली मलाई तो उन्हीं को मिलती है, जो छोटा बेअरहोल्डर है उसको तो कभी साल भर के अंदर थोडा बहुत डिविडेन्ड मिल जाता है, तो पहला बात यह है--आ खिर गवर्मेंन्ट ने यह डिसिकिमिने शन फारेन कन्सर्न्स के बोच में क्यों किया ? क्या गवर्मेंट को सांसक-तिक गलामो का यह प्रतीक है, या गवर्मेन्ट को जो दिमागी जहनियत सन 1947 के बाद है, आज ऐसा माल्म पड़ता है इस देश के अंदर विदेशो अंगरेज फिर से, नए सिरे से, यहां पर अवतरित हो रहे हैं क्योंकि गवर्मेन्ट इन फारेन कन्सर्न्स को जो अपना रिजर्व यहां पर नहीं रखते, केवल रिस्क कवर करने के लिए अपना रुपया रखे हैं--वाको सारे का सारा पैसा बाहर भेजते हैं--तो गवर्मेन्ट ने अपने पराने बिल के अंदर देशों कानियों और विदेशा कंगनियों के अंदर इस प्रकार का भदमाव करने का साहस कैसे किया ? जब सेले क्ट कमेटा ने ध्यान अक्षित किया तो यह कहा गया कि अच्छी विदेशी कंपनियों को एक प्रकार का कम्पेन्सेशन देंगे।

तो श्रोमन्, यह आज एक पहला अवसर है मैंन्डेट नहीं है। जनता का जो मैंन्डेट जिसमें संविधान में 25वें अमेन्डमेन्ट के बाद है वह कांस्टीट्यूशन से मर्यादित है आज यह कहा गया कि डाइरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल और कांस्टीट्यूशन को पददिलत करने के आदिकल 39 के मृताविक उसको अमल में लाने के लिए, ताकि चंद हाथों में सना इस सदन के द्वारा जनता को पूरे तरीके का केन्द्रीकरण नहीं, इस बिल को लाया गया है आप से यह मांगने का अधिकार है कि आपने जो कांस्टीट्यूशन को अमेन्ड किया अमेन्ड किया गया जिसमें कहा गया कि कम्पेन्सेशन के स्थान पर हम एक अमाउन्ट रखेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने स बात के लिए के आधार पर कम्पेन्सेशन दिया आयगा।

आस्वस्त किया कि अमाउन्ट के मुताबिक एक्सप्रोप्रिएशन न हो। श्रीमन्, इस बिल के अन्दर एक तो बुनियादी सवाल है कि आया इस देश के अन्दर डमोक्रेटिक सेट-अप में जहां पर विधि और कानून का राज्य होगा, अगर यहां पर एक कानूनी निरंकुशवाद होगा, कानूनी यहां पर एक तानाशाही होगी और कानून के जरिये से हम को चूंकि बहुमत मिल गया है, इसिलए लोगलाइज डैसपौठिज्म को इस मुल्क में लाने का अधिकार मिल गया है?

Bill, 1972

श्रीमन्, यह जो बारबार कहा जाता है, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमको बहुमत मिल गया है, आपको याद रखना चाहिये कि 1971 में आपको केवल 22 प्रतिशत मत मिला है 1967 के मकाबले में जब कि इलैक्टरेट ढाई करोड़ बढ़ गये हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर पचास लाख कम लोगों ने वोटिंग के अन्दर हिस्सा लिया है और इस तरह से आपको 43 परसेंट वोट मिले । यह तो एक इलक्टोरल सिस्टम है और इसी वजह से आप इस सदन में इल-क्टोरल प्रोसीजर से यहां पर आ गये हैं आप बारबार एक बहमत की तलवार हमारे ऊपर लटकाये रखते हैं और जनता के मेन्डट को बात कहते हैं। जनता का मैन्डेट पागल बनने का मन्डेट नहीं है. जनता का मैन्डेट डिक्टेटर बनने मैन्डेट नहीं है। जनता का जो मैन्डेट है वह कांस्टोट्यूशन से मर्यादित है और कांस्टीटयशन को पददलित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आज इस सदन के द्वारा जनता को पूरे तरीके से आप से यह मांगने का अधिकार है कि आपने जो कांस्टोट्यूशन को अमेन्ड किया है और यह आश्वासन दिया था कि यह आर्विटरिली नहीं होगा और किसी सिद्धान्त

313

श्रीमन्, सत्ता का दृष्पयोग करने का प्रलोभन सत्ताधारी के अन्दर हुआ करता है और इसीलिए पार्टी का कंट्रोल बनाया गया है। यह तो हिन्दुस्तान की बदकिस्मती है कि कांग्रेस वह पार्टी थी जिसने 1962 में जवाहर लाल नेहरू के जमाने में डिफोन्स मिनिस्टर से त्यागपत्र की मांग की थी। यह वह पार्टी थी जिसने राष्ट्रपति के चनाव में बड़े बड़े नेताओं के सजेशन ठकरा दिये ये। लेकिन आज इमीग्य से जो चैक और बैलैन्सेज होने चाहिये थे , वह आज नहीं है और पार्टी केवल यैसमैनों की पार्टी बन गई है। आज वह कोई बाक नहीं लगा सकती है और मिनिस्टर के ऊपर कोई लगाम नहीं लगा सकती है। सरकार ने जिन नीतियों को घोषित किया है उनको वह आज ठोक दिशा को ओर मोड़ नहीं सकती है। जहां तक अपोजिशन का सवाल है, आज अपोजिशन को कदम कदम पर खरोदने का प्रयास किया जाता है, उसको एक्सप्लाइट करने का प्रयास किया जाता है। आज देश के अन्दर डिफोंक्शन कराये जा रहे हैं और इन सारी चाजों में रूलिंग पार्टी ने अपना समर्थन प्रदान किया है। ऐसी सुरत में कम्पेन्सेशन का एक प्रिसिपल, जैसा कि अमी हमारे गोरे जी तथा दूसरे लोगों ने कहा कि इस बारे में एक त्रिसिपल इनोसियेट किया जाना चाहिये था और उसी के आधार पर कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिय था। सर हार ने इस तरह का कोई प्रिसियल नहीं बनाया और नहीं उसके आधार पर कोई कम्पेन्सेशन हो दिया है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की जो सरकार की नीति है वह सदन के साथ एक अन्यांय है और यह डेमोकेटिक तरीका नहीं है। आप स्वयं कहते हैं कि हमारा बहमत है और यह कोई जरूरों नहीं है कि गवर्न मेंट के पास अक्ल की मोनोपली है। अगर आप इस तरह की बात समझते हैं तो आप सब चीजों को पांच मिनट के अन्दर गलैटिन

द्वारा पास करा सकते हैं और इस तरह से हर चीज पास कर देंगे। आज सुबह ही इस चीज के बारे में बहस की गई थी कि यह बिल आज हो हमें लौबी में दिया गया। आप बारबार घंटी बजा रहे और हमको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।

श्री उपसमाध्यक्ष (श्री वी० बी० राजू): आपने 22 मिनट ले लिया है।

You have taken 22 minutes.

SHRI BANARSI DAS : Mr. Bhupesh Gupta is allowed to take so much time...

(Interruptions)

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI-MATI SUSHILA ROHATGI): There is only one thing. I would not like to interrupt the very eloquent speaker...

एक बात जो आपने कही कि गवर्नमेंट को अक्ल की मोनोपली है। गवर्नमेंट को अक्ल इसलिए हैं क्योंकि वह जानती है कि अक्ल को मोनोपलो किसी की भी नहीं हो सकती है।

श्री बनारसी दास : सुशीला जी मैं आपका बड़ा आदर करता हूं और हम दोनों को कई सालों तक साथ काम करने का अवसर मिला है।

श्री उपसमाध्यक्ष (श्री वी० बी० राज्) : अब आपको समाप्त करना चाहिये।

श्री महाबीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : अपनी अक्ल को सोशलाइज कर दीजिये।

श्री बनारसी दास : श्रीमन्, मैं यहां पर एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब जवाहर लाल नेहरू जिन्दा थे तब उनके नेतृत्व में लाइफ इश्योरेंन्स कम्पनिययों की तादाद 256 थी जबकि हम ज्यादा प्रगतिशील नहीं हुए थे। गरीबी हटाओं का जो नारा

श्रीव।।रशीं दासी

General Insurance

आज लगाया जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि जब तक गरोबों के आंसू नहीं पूछेंगे तब तक हमारे कदम आगे बढते ही चले जायेंगे। लेकिन उस वक्त भी इतनी बड़ी मुनादी समाजवादा उकेदारों ने नहीं पोटी थी और तब के वल 5 करोड़ रुपया कम्पेन्सेशन का 256 कंपनियों को दिया गया। तो ऐसामालूम पड़ता है कि हमारे मित्र वावभाई चिनाई के सजेशन को माना गया क्योंकि 56 में महंगाई कम थी, 56 के बाद महंगाई बढ़ो, रुपया डिवेल्यू हो गया । लिहाजा कम्पेन्सेशन के रेट में थोड़ी वृद्धि कर दी गई। तो यह समाजवाद का नक्शा है।

एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हं। सेलेक्ट कमेटी में पहुंची। गवर्नमट को अपने हाथ में सत्ता केन्द्रित करने का बड़ा शौक है। दो नए क्लोजेंज 22 और 23 रद्द कर दिए । इसके लिए गवर्नमेंट ने पावर लीं कि गवर्नमेंट आदेश दे सकता है किसो भी कर्मचारी को कोरपीरेशन से सबसिडियरों में भेजने के लिए और सबसिडिरीज के बीच में ट्रांसफर के लिए। गवर्न मेंट को बड़ो बड़ी प्लानिंग और नियोजन की नीति निधीत करने का स्थाल नहीं। यह कार्य कोरपोरेशन पर नहीं छोड़ा जा सकता था ? अाखिर गवर्नमेंट इन छोटे छोटे अफसरों का दांसफर क्यों अपने हाथ में केन्द्रित करना चाहती है ? सेलेक्ट कमेटी में भेजने से पहले 22 और 23 क्लाज नहीं थे। एक नया अधिकार गवर्नमेंट ने ले लिया है।

फिर आपने इसमें यह रखा है कि 2 जनवरी को आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने यह कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद शेअर होल्डसं का रूपया रहेगा सलिए आप इन्टरेस्ट देंगे। तो मेरा सुझाव यह

है कि क्यों नहीं आप कारपोरेशन का निर्माण 2 जनवरी 72 से पहले करते । एपी-इन्टेड पर यह शेअर वेस्ट करें तब तुरन्त ही येशेयर कारपोरेशन के अन्दर चले जायं क्योंकि आप कारपोरेशन के जरिए कम्पेनसेशन शेयरहोल्डसं को अदा करेंगे। गवर्नमेंट को मशानरी तो धीरे धीरे हाथी की तरह चलती है। चुंकि इस बिल के जरिए आप कारपोरेशन की आथराइज्ड पेडअप केपिटल 5 करोड ले रहे हैं, इसलिए उचित है 2 जनवरों के पहले ही आप कारपो-रेशन का निर्माण कर दें।

क्लाज 16 में आपने 4 सबसिडियरीज को बनाने का अधिकार लिया है। तो आप थोड़ा तज्बें से भी काम लिजिए। यह बेहतर होगा कि केवल एक कारपोरेशन रख कर कारपोरेशन के जरिए तमाम देश में जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को चलाएं।

अन्त में एक बात में यह कहना चाहता हं कि जनरल इंड्योरेन्स जब तक प्राइवेट हैं इस में था, यह सोमित था इंडस्टी और कामर्स तक । अब जब आपने जनरल इंश्योरेंस को लिया है तो मेरा सुझाव है कि आप जनरल. इंस्योरेंन्स के क्षेत्र को विस्तृत की जिए, कृषि तक, मजदूरों तक विस्तृत की जिए। आज हमारे किसान को मानसून के ऊपर आधारित रहना पड़ता है । पिछले साल उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिक हो जाने से 4 अरब रूपए की फसल की हानी हुई। गवर्नमेंट तो क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है। मिल में आग लग जाती है तो उसको इंस्योरेंस कम्पनी कम्पेनसेट करतो है। तो आप क्यों नहीं काप इंश्योरेंस लाना चाहते हैं ? किसान की एक भैंस मर जाती है तो वह दूसरी नहीं खरीद सकता। कैटिल इंड्योरेंस को आप क्यों नहीं लाना चाहते हैं ? आजकल एक्सीडेंट्स को संख्या बढ़ती चली जा रही हैतो क्यों नहीं आप एक जनरल प्रोबीजन इस बात का करते रोड एक्सोडेन्ट्स के

सम्बन्ध में कि हर वेहिकिल को काम्प्रोहेंसिव इंश्योरेंस करना पड़ेगा जिससे कि जो थर्ड पर्सन मरता है एक्सोडेंट में उसके परिवार वालों को एक निश्चित राशि कम्पेनसेशन के रूप में मिल सके क्यों कि उसके जाने से, उसकी प्राणहानि से वे उसके संरक्षण को सुविधाओं से, बंचित हो जाते हैं। इसी प्रकार रेल में चूंकि एनाकि बढ़ रही है, एक्सोडट्स होते हैं या किसी आदमी का करल होता है तो इंश्योरेंस के जरिए से गवर्न मेंट की यह इय्टो होनी चाहिए-चाहे गवर्नमेंट प्रोमियम पे करे और उसके लिए रेलव फंडस में कोई व्यवस्था करे--कि मरने वाले परिवार को कम्पेनसेशन मिल सके । आज वैल्फयर स्टेट है, अगर आप चाहते हैं कि इसको सोशलिस्ट स्टेट बनाएं तो सोशलिस्ट स्टेट के माने यह नहीं हैं कि डायरेक्टिव प्रिसिपत्स को छोड़ कर सत्ता केन्द्रित करते चले जाइए, उसका मतलब यह है कि डायरेक्टिव प्रिसिपल्स को अमल में लाकर गवर्नमेंट थोड़ा अपना उत्तरदायित्व भी बढाए। जिससे कि जो गरीब जनता है, जो तिषित है, पीडित है, उस को सही मायनों में थोड़ी सहायता की जा सके।

General Insurance

अंत में मैं एक बात और निवेदन करना चाहंगा कि सर्विस कंडिशन्स में जब आप स्टैंडडी-इजेशन करना चाहते हैं तो उस को समझ कर कोजिए। आपने जो अधिकार अपने हाथ में लिया है कि उस के वेस्ट हो जाने के बाद किसो कर्मचारो को आप को तीन साल के अंदर नोटिस देने का अधिकार होगा। तो तीन साल तक उस के लिए सस्पेंस की स्टेज रहेगी। ोन साल के बाद किसो अधिकारी को या गवर्न मेंट के किसी आफिसर के दिमाग में ब्रेन वेव आयो, उस ने नोटिस दिया कि तुम्हारी सर्विस टर्मिनेट की जाती है तो क्या होगा । और पता नहीं, जब से यह लहर चली है क्यों आप को कोर्ट से बड़ी

चिढ़ हो गयी है। अदालत के नाम से आप को कुछ फोबिया हो गया है। अदालतों पर से आप का विश्वास उठ गया है। तो उस में भी आप का डिसीजन फाइनल होगा. जो सरकार करेगी वह फाइनल होगा। कंपेन्सेशन भी उस को नहीं मिलेगा और क्या होगा यह सब आप के हाथ में है। इस लिए आप का जो यह तना बडा और प्रगतिशील कदम है वह कितना हो लाउडेबिल क्यों नही. लेकिन यदि उसको ठीक प्रकार से कार्यास्वित नहीं कर सकते हैं आप, तो अच्छे से अच्छा कान्त भी एक दमन का कान्न बन जाता है। तो श्रीमन्, इन शब्दों के साथ आप के ्वारा निवेदन करना चाहता है कि यह जनरल इंश्योरेंस एक इंप्रास्ट्रक्चर है समाज की नींब को सुदढ़ बनाने के लिए, उस का विस्तार गांवों तक हो, कृषि तक हो और इस के लिए गवर्नमेंट इस प्रकार की योजना बनाये जिसके दवारा आज जो आकस्मित दर्घटनाओं में लोगों की मत्य हो जाती है या दैवी विपत्तियों के कारण जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, अनिश्चितता के कारण जो दुर्घटनायें हो जाती हैं या जो अनइंप्लायमेंट है उस का इस से निवारण हो और आज जो जनता का जोवन अस्तब्यस्त हो गया है, जो उन में निराशा का संचार हो गया है उस के स्थान पर लोगों में आशा का संचार हो इस बात का सरकार प्रयत्न करे और मझे उम्मीद है कि आप जो धन व्यय कर रहे हैं उस को कुछ कम करेंगे और समझ से काम लिया जायेगा । यदि यह रूपया कम किया जासके तो अच्छा होगा।

श्री नन्द किशोर भट्ट (मध्य प्रदेश) : माननीय उप सभापति जी, 1956 में जीवन बीमा उद्दोग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और अब जनरल इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण कर के जो अब तक का सकिल या वह यानी बीमा उदयोग के राष्ट्रीयकरण का काम पूरा हो जाता है। श्रीमन्, इस बिल में

[श्री नन्द किशोर भटट]

319

जो स्ट्रक्चर, जो ढ़ांचा रखा गया है, जिस प्रकार एक कारपोरेशन बना कर उस की चार कंपनीयां होंगी, मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था करना आज बहुत जरूरी है। इस में श्रीमन्, जो एक सब से अच्छी बात है वह यह कि जो चार सब्सोडियरी कंपनीज होंगी उन को अपने तरी के से काम करने का मौका मिलेगा और उन में एक कंपिटीशन की भावना रहेगी, बीमा व्यापार को और अधिक प्रगतिशील बनाने की भावना रहेगीं। मैं समझता हूं कि कई दृष्टियों से यह एक बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए सरकार वधाई की पात्र है।

श्रीमन, में यहां यह भी एक सुझाव देन। चाहंगा। इस विधेयक द्वारा वीमा कर्मचारियों के वजेज को स्टेडडीइज करने के लिये.यनि-फार्म तरीके से उनको ठीक करने के लिये आखासन मंत्री महोदय ने दिया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है, परन्तु आपनं देखा होगा, हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि बोमा कर्मचारियों का ही नहीं जहां जहां भी कर्मचारी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी ग्रिवांसेज को दूर करने के लिये. उनके विवादों को निपटाने के लिये जो तरीका है वह बहुत आउट-डेटिड हो गया है, बहुत पराना पड गया है, जिसकी वजह से काम करने के लिये जो उत्साह होना चाहिये वह उत्साह नहीं रहता है बल्कि होता यह है कि दफतर जाते हैं और दफ़तर से चले आते हैं। मेरा सुझाव यह है कि इनके विवादों को निपटाने के लिये, उनका इल निकालने के लिये, इस कापॉरिशन में एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिये, एक ऐसी मशीनरी बनानी चाहियो जिससे कि कर्मचारियों की ग्रिवांसेज समय पर तय हो सके और उनकों काम करने में बराबर उत्साह मिलता रहे।

श्रीमन्, इस बिल में एक सब से बड़ी विचारणीय बात क्षति-पूर्ति की है, इन जनरल इंश्योरस कम्पनियों को लेने के बाद क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान इसमें रखा गया है
वह न केवल विवादास्पद है बल्कि उसमें
कई प्रकार की शंकायें पैदा होती हैं। हम
और आप सब जानते हैं कि जब जीवन बीमा
उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो
क्षतिपूर्ति में 5 करोड़ रुपये या इसके आसपास दिया गया था और जब कि जनरल
इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है
तो 38 करोड़ रुपये के करीब क्षतिपूर्ति
दैने को बात है। श्रीमन्, मेरी समझ में
नहीं आता कि आखिर इसका उद्देश क्या
है। इसका एक नेशनल उद्देश्य होना चाहिये,
एक विवेकपूर्ण तरीका होना चाहिये जिसके
आधार पर क्षतिपूर्ति की रकम दी जाय।

श्रीमन्, जहां तक कि आंकड़ों की जांच की गई है उससे मालूम होता है कि पेड-अप कैपिटल और बोनस शेंथर के अलावा इन कंपनियों के पास लगभग 224 करोड़ रुपये के असेट्स हैं और इसी प्रकार जो एनुअल प्रीमियम आता है वह 125 करोड़ रुपये आता है। अब जब कि पेड-अप कैपिटल 12 या 13 करोड़ रुपय की थी तो यह विचरणीय बात है कि जब हम इतना कम्पेनसेशन देने को वात करते हैं तो क्या वह समाजवाद के उद्देशों के अनुसार और सरकार जिन प्रगतिशील नीतियों के ऊपर अमल करना चाहती हैं उनसे साम्य रखता है। यह ऐसा विचारणीय प्रथन है कि मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे।

दूसरी चीज मैं यह चाहूंगा कि जिन कम्प-नियों की क्षतिपूर्ति का रुपया दिया जायेगा उनके ऊपर यह बन्धन होना चाहिये कि इस रुपये का उपयोग वह लोग नये उद्योगों में लगा कर करेंगे और उसको केवल एक आयडिल कैपिटल के रूप में नहीं रखेंगे। दूसरा, श्रीमन, मैं यह कहना चाहता हूं कि वीस महीनों में जब से कि सरकार ने जनरल इंग्योरेंग को टेक-ओवर किया है और इन महीनों में जो इसका विकास किया गया है और जो उसकी एक मुदृढ़ स्थिति बनाई है उसके बाद क्या यह जरुरी होगा कि इनको कम्मेनसेशन एक लम्प सम के रुपमें दे दिशा जाय। आखिर, इसका आद्यार क्या है। अभी इस बिल में यह चीज साफ नहीं होती है। इसलिये में मंत्री महोदय का घ्यान इस और आकृष्ट करता हूं और उनसे अनुरोध करुंगा कि वह इस विषय पर गम्भोरता से विचार करें।

General Insurance

श्रीमन्, जहां तक प्रीमीयम की बात है जीवन बोमा में जो प्रोमियम लिया जाता है और जनरल इंक्योरेंस में जो प्रीमियम विया जाता है इसका भी कुछ बैसिस होना चाहियी। इंश्योरेंस की दर जो है वह काफी ज्यादा है। उसको भी रेशनल तरीके से सोचना चाहिये । जनरल इंध्योरेंस से हम बड़ी अपेक्षायें रखते हैं। राष्ट्रीयकरण केवल एक नारा नहीं है यह समाज को आये बढाने का एक तरीका है। तो जनरल इंक्योरेंस ीमा कम्पनियों का जो कापॉरिशन बनेगा उससे हम आशा करते हैं कि वह समाज को आगे बढ़ायेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज कल कई प्रकार के एक्सी. डेट्स होते हैं, हवाई जहाज के एक्सीडेंट होते हैं, रेल को दुर्घटनायें होती हैं, मोटर-कारों से भो दुर्घटनायें होती हैं, इसके लिये अच्छा यह होगा कि एक ऐसा रेशनल बेसिस तय किया जाय कि टिकट में ही इंश्योरेंस काभी जोड़ लिया जाय 🕽

श्री वाबुभाई एम० चिनाई: एयरवेच में तो है ऐसा।

श्री नन्द किशोर भट्ट : एयरवेज में है
 लेकिन मोटर के लिये नहीं है।

श्री बाबूभाई एम० चिनाई : मोटर में भी बर्ड पार्टी है।

11-14 R. S./72

श्री नन्द किशोर भट्ट : है लेकिन बहुत थोड़ा सा मुआविजा मिलता है। तो मेरा कहना है कि इनको और अच्छे ढंग से करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, आये दिन कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कुछ हा जाता है, इसलिये कैटिल इंश्योरेंस और ऋष इंश्योरेंस यह भी जरूरी बात है जिसको इस कार्पेरिशन से हम अपेक्षा करेंगे। वह अपने कार्यक्षेत्र का अधिक विकास करे और इस प्रकार में विकास करे कि जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में इंख्योरेंस कम्पल-सरीह ढंग से हो जाय, इससे हमें देश के उद्योगों का विकास करने के लिये पूंजी मिलेगी और दूसरे लोग जो आये दिन तरह तरह की मुसीबतों के शिकार हो जाते हैं उनको भी उनसे बचने कामौका मिलेगा। इसके बाद श्रीमन् में इस चोज की ओर ध्यान दिलाना चाहता हं कि क्लेम्स के सेट्लमेन्ट के बारेमें अभी तक का हमारा अनुभव जरा संतीयजनक नहीं है। जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उनसे जनता की अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं और मैं समझता हं स्वाभाविक भी है और उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार मोटर के एक्सिडेन्ट होते हैं, क्लेम्स सेटल करने में कई दिन लगं जाते हैं। दूसरे प्रकार के क्लेम्स के सेट्लमेन्ट में, जैसे फ़ायर के क्लेम्स के सेटलमेंन्ट में काफी टाइम लग जाता है। हम माने या न माने इसमें सच्चायी है कि कहीं करप्शत भी है, कहीं मालप्रैक्टिस भी है और यह कर्मवारियों के स्तर पर उतना नहीं है जितना बहुत ऊर्जे स्तर में। कई बार तो ऐसे अवसर देखने में आए हैं कि कुछ अंदर लिखा-पढ़ी हो। आती है अब कि न तो एक्सिडेन्ट होता हैन कोई इस तरह की बात होती है। तो इस प्रकार के मामखों में जब शिकायत आती है तो मैं पाहता हुं सरकार को उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

[श्रीनन्द किक्षोर भट्ट]

Re Sugar and sugarcane

श्रोमन्, आपने देखा होगा, राष्ट्रीयकरण के बारे में हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य महोदय ने बहुत सो बातें कहीं। हम सब जानते हैं, एक ओर अक्षां सरकार देश में कई प्रकार के कांतिकारो और नए आर्थिक कदम उठा रही है तो दूसरी इस देश में ऐसा तबका है, एक ऐसी लाबी है,जी बराबर चाहतो है कि किसी प्रकार राष्ट्रीयकरण की नोति में सरकार को असफलता मिले। नो इस बात से मैं सावधान करना चाहता हुं और कहना चाहता हूं जनता हमारे साथ है, जो इमने उसको वायदे किए हैं, जो उसके सामने आधिक कार्यक्रम रखे हैं, अब्रुक्तक हम उस पर कायम है तब तक हमें इस विकार को लाबो से किसो प्रकार प्रभावित हो ने की आवश्यकता नहीं है और बड़ें साहस के साथ इस मामले में आगे बढना चाहिए और एसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे विकास कार्य के लिए पूंजी मिले, नए नए साधन मिले और उसके लिए जो आर्थिक व्यवस्था चाहिए नह इस प्रकार की नीति से बहुत अच्छी तरह प्राप्त हो सकता है। 🕆

मैं अंत में यक्ष कहना चाहंगा कि इस समय सारे समाज में जहां जहां भी लोगों के अंदर इस अनरल इंग्योरेंस के बारे में अंका है, अहां सोगों को इस बात की शिकायत है कि कम्पेन्सेशन की पूंजी जो रखी गई है आर्बिट्रेरी तरीके से रखी गई है उसकी बेसिस से लोगों को बड़ा असंतोष है और वब तक पालियाभेंट के सामने वह बेसिस ठीक से नहीं रखेंगे तब तक जो शेड्यूल में आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों से bमें काफी ज़स्तफहमी है, असंतोष भी है और श्रीमन् में यह चाहुंगा कि अहां एक ओर राष्ट्रीयकरण के लिए हम नए नए कदम लेते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते जा रहे हैं वहां सरकार की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जिनके बारे में जनता में असंतोष है,

उनको दूर करना चाहिए और बोम का काम करने वाले कर्मचारियों में भा अनुकूल भावना पैदा करन में, बढ़ाने में सहायक हो जिससे यह उद्योग काफी अच्छ ढंग से जनता की आर्थिक समृद्धि को कल्पना के स्वप्न का मंजिल को, प्राप्त करने को दिशा में सहायक हो सके। बन्यवाद।

6 P.M.

DISCUSSION UNDER RULE 172 RE. THE NEW SUGAR AND SUGAR-CANE POLICY FOR THE YEAR 1972-73

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Now, let us take up the discussion under Rule 176. Shri Goray, 15 minutes. I do not know how long we can sit. There are more than ten speakers. Fifteen minutes for you and for the remaining ten minutes each.

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Sir, you know that I always observe timelimit and I shall try to be within the time. I have a suspicion that yesterday the strategy of the Government was to make this policy statement at the end of the Session so as to prevent the Opposition from raising any debate and having a fullfledged discussion on this. I, therefore, welcome this opportunity and I shall be brief within the time given to me. This issue concerns, I should say, the entire nation. After all sugar is a commodity which is consumed by almost everybody right from childhood to old age. This is something which concerns the fifty-five crores of people of India, not only the manufacturers or dealers or the caneproducers. Therefore, I would have liked the Government to give very serious thought to the policy that they have been evolving for the last two or three years. It is not that something suddenly has taken place and they are meeting an emergency. The whole crisis has been developing for